



क्रमांक. 6753/शा-13/EODB/ 2016

भोपाल, दिनांक 29/5/16

प्रति,

1. आयुक्त (समस्त),
नगर पालिक निगम,
मध्यप्रदेश.
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी(समस्त),
नगर पालिका परिषद/नगर परिषद,
मध्यप्रदेश.

विषय : Ease of Doing Business के अंतर्गत भवन अनुज्ञा जारी करने के लिये "मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 तथा "मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) नियम 2002" के अंतर्गत वृक्षों के काटने की अनुज्ञा जारी करने हेतु निरीक्षण की समय सीमा के निर्धारण के संबंध में।

भवन अनुज्ञा जारी करने के लिये वृक्ष काटने हेतु अनुज्ञा "मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001" की धारा 6(2) तथा "मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) नियम 2002" में निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदाय की जाती है। इन प्रावधानों के अंतर्गत वृक्ष अधिकारी द्वारा नामांकित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाता है, जिसके आधार पर वृक्ष काटने की अनुमति प्रदान की जाती है। ई-नगरपालिका में यह अनुमति ऑनलाइन जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है। ऑनलाइन अनुमति जारी करने की प्रक्रिया आपकी ओर पृथक से प्रेषित की जा रही है।

Ease of Doing Business के अंतर्गत वृक्ष काटने की अनुमति प्रदाय करने हेतु निरीक्षण करके रिपोर्ट देने की समय-सीमा 48 घण्टे (2दिन) निर्धारित की जाती है। इस समय-सीमा के अंतर्गत स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(एस. एस. राजपूत)

संचालक (तकनीकी)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठा. क्रमांक...../शा-13/ EODB / 2016

भोपाल, दिनांक.....

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल म.प्र.,
2. कलेक्टर (समस्त)
3. संभागीय संयुक्त संचालक (समस्त), नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनाार्थ।

संचालक (तकनीकी)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक...../शा-13/EODB/ 2016

भोपाल, दिनांक.....

प्रति,

1. आयुक्त (समस्त),
नगर पालिक निगम,
मध्यप्रदेश.
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी(समस्त),
नगर पालिका परिषद/नगर परिषद,
मध्यप्रदेश.

विषय : Ease of Doing Business के अंतर्गत भवन अनुज्ञा जारी करने के लिये "मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001 तथा "मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) नियम 2002" के अंतर्गत वृक्षों के काटने की अनुज्ञा जारी करने हेतु निरीक्षण की समय सीमा के निर्धारण के संबंध में।

भवन अनुज्ञा जारी करने के लिये वृक्ष काटने हेतु अनुज्ञा "मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2001" की धारा 6(2) तथा "मध्यप्रदेश वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) नियम 2002" में निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदाय की जाती है। इन प्रावधानों के अंतर्गत वृक्ष अधिकारी द्वारा नामांकित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा स्थल निरीक्षण किया जाता है, जिसके आधार पर वृक्ष काटने की अनुमति प्रदान की जाती है। ई-नगरपालिका में यह अनुमति ऑनलाइन जारी किये जाने का प्रावधान किया गया है। ऑनलाइन अनुमति जारी करने की प्रक्रिया आपकी ओर पृथक से प्रेषित की जा रही है।

Ease of Doing Business के अंतर्गत वृक्ष काटने की अनुमति प्रदाय करने हेतु निरीक्षण करके रिपोर्ट देने की समय-सीमा 48 घण्टे (2दिन) निर्धारित की जाती है। इस समय-सीमा के अंतर्गत स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(एस. एस. राजपूत)

संचालक (तकनीकी)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृष्ठा. क्रमांक 6754...../शा-13/EODB/ 2016

भोपाल, दिनांक 28/08/16

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल म.प्र.,
2. कलेक्टर (समस्त)
3. संभागीय संयुक्त संचालक (समस्त), नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ।

संचालक (तकनीकी)
नगरीय प्रशासन एवं विकास
मध्यप्रदेश, भोपाल